Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :— करतारसिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00181(129/2011) 75 एलआरएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

— अपीलान्ट

**बनाम**

1. हरनाम सिंह पुत्र गोमासिंह जाति रायसिख सा0 फतेहपुर तह0 संगरिया
2. करतार सिहि पुत्र जयमल जाति रायसिख सा0 फतेहपुर तह0 संगरिया

— रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 30.09.2010

प्रकरण संख्या 220/2010 बअनवानी हरनाम सिह बनाम सरकार

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

**निर्णय** दिनांक — 6-9.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद् जारी करने बाबत शीर्षक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 32 एनजीएस प0 नं0 168/253 कि की 1.012 है0 भूमि को आवंटी करतासिंह से जरिये ईकरारनामा क्रय करना दर्शित करते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन किया।
2. पत्रावली में यह भी अंकित है कि नियमित किये जाने वाले रकबे पर कोई राशि बकाया होनी नहीं पाई जाति है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पेश शपथ–पत्र व सिंचाई विभाग की पर्ची के आधार पर क्रेतागण का कब्जा साबित है। सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई न ही अलॉटी को जरिये नोटिस तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित आया। प्रकरण नियमन योग्य होने से समिति के समक्ष रखा गया। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ''नियमन सिफारिश की जाती है'' अंकित है, जिसके नीची तहसीलदार, प्रधान, विकास अधिकारी एवं सरपंच के हस्ताक्षर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:24 IST
Reason: SelfAttested

हैं। उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रिकॉर्ड में क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये हैं जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के बिन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को नियमन करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु भूमि से सम्बन्धित आवंटन आदेश ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है। मूल आवंटी द्वारा आवंटन की यदि कोई राशि बकाया थी तो वह खजाना राज जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई ना ही मूल आवंटन पत्रावली ही तलब की गई है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कास्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुऐ थे एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नहीं था इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय रेस्पोडन्ट के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। मार्केट रेट की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ9 (79)रेव–6/2011/32/जी.एस.आर.सो. दिसम्बर 01, 2011 द्वारा समाप्त कर दी गई है। कोई बकाया नहीं है। तर्क दिया कि विज्ञप्ति आपत्ति हेतु प्रकाशित है किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात हक एवं कब्जा काश्त के बारे में कोई विवाद नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किसी ने [illegible] की। आवंटी एवं उसकी वारिसान से प्रश्नगत [illegible] आवंटन आदेश प्रश्नगत नहीं था अपितु आवंटन से [illegible] 5 (क) के अनुसार शास्ति जमा होने पर नियमन की जानी थी।

6. अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित पर्याप्त विश्वसनीय कारण स्पष्ट अंकित नहीं किया है। नियमन कमेटी में रखकर कमेटी की राय से हुआ है। कमेटी का तहसीलदार सदस्य है। जिनके हस्ताक्षर कमेटी की बैठक में नियमन सिफारिश के साथ अंकित है। कमेटी में सरपंच सदस्य है जो कि कब्जे की एवं काश्त की तथा विक्रय होने की स्थानीय जानकारी रखते है। सरपंच जनप्रतिनिधि होते है। इस कारण उनकी उपस्थिति में हुआ निर्णय केवल अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर हुआ निर्णय नहीं कहा जा सकता है। जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से राय रखने और निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहते हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 फौत हो चुका है। अपीलाण्ट न यह अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट ने इस संबंध में दिनांक 08.02.2016 को प्रार्थना–पत्र पेश किया था। रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब पेश नही किया है। अपील मृत व्यक्ति के खिलाफ पेश होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

8. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशप होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066 से 69 चक 32 एनजीसी की किला नं. 21, 22, 23, 24 की 1.012 है0 भूमि आवंटी करतार सिंह वल्द जयमल सिंह कौम रायसिख साकिन फतेहपुर अलॉटी के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने प्रश्नगत आराजी का इकरारनामा मूल आवंटी के करतार सिह के वारिस नन्दसिंह द्वारा दिनांक 24.05.1979 को किया गया है। करतार सिह रेस्पोडेण्ट संख्या 2 है जो फौत हो चुका है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 इस संबंध में दिनांक 08.02.2016 को प्रार्थना–पत्र पेश किया था। अपीलाण्ट ने यह अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 14:11:24 IST
Reason: SelfAttested

कोई जवाब पेश नहीं किया है [illegible] मृत व्यक्ति के खिलाफ पेश होने के कारण खारिज [illegible] है।

10. उपरोक्त विवेचन [illegible] आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 6-9-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.)

6/9/21
(करतार सिह पूनियॉ)
आर.ए.ए.
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:24 IST
Reason: SelfAttested